राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 213/2007/कोटा

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,कोटा — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स एन.एस.मार्केटिंग
अग्रसेन बाजार, कोटा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक
व ईशू जैन, सी.ए. — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,कोटा (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/आर.एस.टी./2005–06 में पारित अपील आदेश दिनांक 01.09.2006 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 62, 65 58 के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.09.2005 के द्वारा कर रू. 1,99,209/–, शास्ति रू. 3,98,418/–, ब्याज रू. 93,628/– एवं शास्ति रू. 5000/– आरोपित कर कुल रू. 6,96,255/–की मांग सृजित की, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित कर रू. 1,99,209/–,अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 3,98,418/– व ब्याज रू. 93,628/– को अपास्त कर अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 5000/–को यथावत रखते हुए अपील आंशिक स्वीकार की है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को इस अपील में विवादित कर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.02.2003 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने पर करपवचंन की सम्भावना के आधार पर रेकार्ड अभिग्रहीत किया गया । सर्वेक्षण के दौरान बाद जांच रू. 94,132/– के किराना सामान एवं रू. 26,826/– के जीरे की बिक्री का नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं पाये जाने पर कुल रू. 1,20,958/– अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति

आरापित की गई। सर्वेक्षण के दौरान रू. 16,713/– के घी की बिक्री का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त घी बिक्री की उचन्त बिक्री मानते हुए कर एवं शास्ति आरोपित की गई । सर्वेक्षण के दौरान जांच में रू. 12,56,991/– के बिक्री के बिल पाये गये जिनका इन्द्राज नियमत लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते हुए कुल कर रू. 1,99,209/–, शास्ति रू. 3,98,418/– एव ब्याज रू. 93,628/–की मांग कायम की गई ।

सर्वेक्षण के दौरान जारी बिल बुकों में कोई क्रमबद्धता नहीं पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 सपठित नियम 41 का उल्लंघन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत 5000/– की शास्ति आरोपित की।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकार के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए शेष सृजित मांग को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2006 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2006 से क्षुब्ध होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि किराना सामान, जीरे व घी की बिक्री का नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नही पाये जाने पर कुल रू. 1,20,958/– पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। इसी प्रकार सर्वेक्षण के दौरान रू. 12,56,991/– के बिक्री के बिल पाये गये,जिनका इन्द्राज लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने के कारण कर एवं शास्ति आरोपित करते हुए कुल कर रू. 1,99,209/–, शास्ति रू. 3,98,418/– एवं ब्याज रू. 93,628/– की मांग कायम की, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू. 1,99,209/–, शास्ति रू. 3,98,418/– एवं ब्याज रू. 93,628/–को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एग्जीपिट 1,5 व 7 में दर्ज प्रविष्टियॉ प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म की नहीं

होकर उसकी सिस्टर कर्न्सन से सम्बन्धित है और उनका लेखा पुस्तकों में ही इनके इन्द्राज किए हुए हैं तथा उक्त जानकारी सर्वेक्षण के समय कर निर्धारण के समय उपलब्ध करवा दी गई थी और सिस्टर कन्सर्न की लेखा पुस्तकें सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई थी परन्तु उनका सत्यापन नही करके उचन्त बिक्री मानते हुए कार्यवाही की है,जो अविधिक है। उनका कथन है कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि वे सिस्टर कन्सर्न से जांच कर कार्यवाही करते हुए परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कथन है कि एग्जीपिट 6 व 7 में मैसर्स बजरंग किराना धानमण्डी का खाता दर्ज है,जिसमें 11,08,883/–के पुराने बारदाने बिक्री दर्ज है जिसके बिल प्रत्यर्थी ने मैसर्स अग्रवाल बारदाना भण्डार के नाम जारी किये है । उनका कथन है कि बजरंग किराना अग्रवाल बारदाना भण्डार पेनेन्टल फर्म है । उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के उपरोक्त एग्जीपिट में दर्ज बिक्री माल की उचन्ति बिक्री मानते हुए कार्यवाही की है जो उचित नहीं है। उन्होंने उपरोक्त के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार सर्वेक्षण के दौरान बाद जांच रू. 94,132/– के किराना सामान एवं रू. 26,826/– के जीरे की बिक्री का नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नही पाये जाने पर कुल रू. 1,20,958/– अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरापित की गई। सर्वेक्षण के दौरान रू. 16,713/– के घी की बिक्री का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त घी बिक्री को उचन्त बिक्री मानते हुए कर एवं शास्ति आरोपित की गई । सर्वेक्षण के दौरान जांच में रू. 12,56,991/– के बिक्री के बिल पाये गये जिनका इन्द्राज नियमत लेखा पुस्तकों में नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही करते हुए कुल कर रू. 1,99,209/–, शास्ति रू. 3,98,418/– एव ब्याज रू. 93,628/–की मांग कायम की गई,जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर अपास्त किया गया है।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिग्रहीत दस्तोवजों यथा एग्जीपिट 1,5 व 7 में दर्ज विवरण 94,132/–, 26,826/– व 16,713/–का लेखा पुस्तकों से सत्यापन किये जाने का निवेदन अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से किया गया है किन्तु उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया, जबकि उक्त एग्जीपिट में दर्ज विवरण का प्रत्यर्थी व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों एवं सिस्टर सन्सर्न से सम्बन्धित दस्तावेजों

से सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी को करना चाहिए था ताकि इस तथ्य की सत्यता सामाने आती है किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यही स्थिति एग्जीपिट 6 व 7 की है। विद्वान अपीलीय अधिकारी यदि कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं थे तो उनकों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश देने चाहिए थे कि अप्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात पुनः आदेश पारित किया जाये, किन्तु उन्होंने ऐसा नही करके सृजित मांग को अपास्त किया है, जिसको न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं न्याय की दृष्टि से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह सर्वेक्षण के दौरान पाये गये दस्तावेजों यथा एग्जीपिट 1,5, 6 व 7 में दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन नियमित लेखा पुस्तकों और सिस्टर कन्सर्न की लेखा पुस्तकों से किया जावे और यदि उक्त एग्जीट्स में दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन हो जाता है तो मांग सृजित नहीं करें और यदि सत्यापन नहीं होता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही इस आदेश की प्राप्ति के 6 माह के भीतर करते हुए न्याय संगत पुनः आदेश पारित करें।

फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य